सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

झारखण्ड शिक्षा परियोजना, सिमडेगा
नए समाहरणालय भवन, ब्लॉक–ए,द्वितीय तल्ला
दूरभाषः 06525–225835 फैक्सः 225836
E-mail:- ssasimdega@yahoo.co.in

पत्रांक : 654 (समग्र) दिनांकः 04/06/2025

प्रेषक,

जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–
अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
झारखण्ड शिक्षा परियोजना, सिमडेगा ।

सेवा में,

सभी प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी,
सभी प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी,
सभी प्रखण्ड साधन सेवी/संकुल साधन सेवी,
जिलाः–सिमडेगा।

विषयः– **निः शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा RTE की धारा 12 (I)(C) अंतर्गत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों (अल्पसंख्यक विद्यालयों को छोड़कर) की प्रवेश कक्षा में 25 प्रतिशत सीट के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में नामांकन के संबंध में।**

प्रसंगः– **राज्य परियोजना निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची के पत्रांक 397 दिनांक 23.02.2022**

महाशय,

उपर्युक्त विशयक एवं प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में कहना है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम् 2009 की धारा 12 (1) (सी.) के अन्तर्गत जिले के सभी गैर सहायता मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों (अल्पसंख्यक विद्यालय को छोड़कर) को सत्र 2025–26 में निम्न प्रावधानों के अनुरूप 25% सीट पर नामांकन किया जाना है :–

1. सत्र 2024–25 में विद्यालय की प्रवेश कक्षा में विद्यालय की नामांकन क्षमता के 25% सीट पर अभिवंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों का नामांकन किया जाना है।
2. वैसे बच्चे जो विद्यालय के 1 कि.मी. की दूरी सीमा के अधीन निवास करते हों, का नामांकन किया जाना है। यदि इस दूरी सीमा में पर्याप्त बच्चे उपलब्ध नहीं होते हैं तो 3 से 6 कि.मी. की दूरी सीमा में निवास करने वाले बच्चों का नामांकन लिया जा सकता है।
3. अभिवंचित समूह में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्ततायुक्त एवं अनाथ बच्चे तथा कमजोर वर्ग के अन्तर्गत जो अभिवंचित समूह में नहीं आते हों और जिनके परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय रू0 72000/–से कम हो, का नामांकन किया जाना है।
4. नर्सरी/एलकेजी में नामांकन हेतु उम्र सीमा 3 वर्ष 6 माह से 4 वर्ष 6 माह के बीच एवं कक्षा 1 में नामांकन हेतु 6 वर्ष से 7 वर्ष के बीच होगी। उम्र की गणना का Cut Off तिथि 31 मार्च 2024 होगा।
5. 25% कोटि में नामांकन हेतु कार्यालय के वेबसाइट **jepsimdega.in** पर **ऑनलाइन आवेदन दिनांक 20.06.2025 तक** भरा जायेगा एवं माता–पिता/अभिभावक भरे गए आवेदन का प्रिंट निकालकर सभी दस्तावेजों को संलग्न एवं स्वअभिप्रमाणित करते हुए संबंधित विद्यालय में **दिनांक 24.06.2025** तक अनिवार्य रूप से जमा करेंगे। कोई भी गलत प्रमाण पत्र संलग्न किए जाने की सम्पूर्ण जवाबदेही संबंधित माता–पिता/पालक/अभिभावक की होगी। माता–पिता/अभिभावकों द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन एवं अभिलेखों/प्रमाणपत्रों की समुचित जाँचोंपरांत तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम् 2009 की धारा 12 (1)(सी.) के प्रावधानों के अनुरूप योग्य बच्चों का नामांकन संबंधित विद्यालय में लिया जायेगा। नामांकन हेतु योग्यता एवं आवेदन करने संबंधी विस्तृत जानकारी बेवसाइट पर उपलब्ध है।
6. जिले में गैर सहायता मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय जहाँ 25% सीट पर बच्चों का नामांकन लिया जाना है, की विवरणी निम्नवत् है :–

क्र0	विद्यालय का नाम, पता	विद्यालय की प्रवेश कक्षा, जिस पर नामांकन लिया जायेगा।	प्रवेश कक्षा में कुल नामांकन क्षमता	कुल नामांकन क्षमता का 25 प्रतिशत संख्या
1	डी०ए०भी० पब्लिक स्कूल, सिमडेगा।	LKG	30	8
2	सरस्वती शिशु विद्या मंदिर सलडेगा, सिमडेगा।	LKG	100	25
3	रामरेखाधाम सरस्वती शिशु विद्या मंदिर उच्च विद्यालय सरखुटोली, सिमडेगा।	I	40	10
4	संत जोन्स स्कूल इंगलिश मीडियम फरसाबेड़ा, सिमडेगा।	I	32	8
5	हिल–व्यू पब्लिक स्कूल, सिमडेगा।	LKG	40	10
6	संत मेरिज इग्लिंश मिडियम स्कूल, सामटोली, सिमडेगा।	I	33	8

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

झारखण्ड शिक्षा परियोजना, सिमडेगा
नए समाहरणालय भवन, ब्लॉक–ए,द्वितीय तल्ला
दूरभाषः 06525–225835 फैक्सः 225836
E-mail:- ssasimdega@yahoo.co.in

पत्रांक :   दिनांकः

अतः निदेश दिया जाता है कि आप सभी अपने प्रखण्डाधीन पोषक क्षेत्रों में सरकार की इस महत्वकांक्षी योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार कराते हुए उपरोक्त अंकित निजी विद्यालयों में रिक्त सीट के विरूद्ध अहर्त्ताधारी बच्चों का शत–प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित कराने में अपेक्षित सहयोग करें।

विश्वासभाजन

04/06/25

जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–
अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
झारखण्ड शिक्षा परियोजना, सिमडेगा

04/6/25